(घ) विद्यालयों के निर्माण कार्य का पूरा किया जाना शेष तीन मामलों में राज्य सरकार से अपेक्षित भूमि के हस्तांतरण और पर्याप्त निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा । क्योंकि प्रत्येक नवोदय विद्यालय के मामल में पर्याप्त निर्माण कार्य होना है, अत: सभी मामलों में निर्माण पूरा किए जाने में कुछ समय लगगा । नवोदय विद्यालय समिति इसे यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ।

News report on SAI

4964. SHRI ANANT RAM JAISWAL:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report appearing in Indian Express dated the 30th December, 1994 about Sports Authority of India; and

(b) if so, what is the reaction of Government and action taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI MUKUL WASNIK): (a) Yes, Sir.

(b) The Indira Gandhi Stadium was constructed during Asiad '82. The architech of the Stadium M/s. Sharat Dass and Associates were temporarily accommodated in the premises of Indira Gandhi Stadium, free of any rental charges till the completion of the project by DDA. Subsequently, the ownership of the Indira Gandhi Stadium was transferred to Sports Authority of India (SAI) w.e.f. 15.1.1987 alongwith the area occupied by the architect. In order to pre-empt any action for eviction, M/s. Sharat Dass & Associates filed a case in the Court of Additional District Judge and obtained a Stay Order with status quo as on 18.2.1987. However, the petition was dismissed by the Court on 10.12.1993.

Since the ownership of the Stadium vests with the SAI, a notice was served on the firm under the provisions of Public Premises (Eviction & Unauthorised Occupants) Act for early eviction and recovery of rent. In the meanwhile, before the orders of eviction could be implemented, the firm filed a petition in the Delhi High Court and obtained an order retaining the status quo. Next date of hearing of the case has been fixed on 15.05.1995.

राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

4965. श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 24-3-95 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1798 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयोग के नव-नियुक्त अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य को उचित प्रतिनिधित्व दिया है ;

(ग) क्या निवर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना अंतिम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवदन की मुख्य बातें और सिफारिश क्या-क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एंव बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) राष्ट्रीय महिला आयोग में इस समय श्रीमती गंगा पोटई सदस्य तथा सुश्री ऐनी प्रसाद सदस्य-सचिव के रूप में कार्यरत हैं

आयोग में रिक्त पदों को भरने के प्रश्न पर सरकार अत्याधिक ध्यान दे रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का नामांकन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31- 1- 1992 से 31- 3- 1993 तक की अवधि की अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(घ) वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 1- 1- 1992 से 31- 1- 1993 तक किए गए विभिन्न कार्यकलापों का ब्यौरा दिया गया है । आयोग ने महिलाओं से संबंधित कुछ कानूनों तथा विधानों का विस्तृत अध्ययन किया है तथा उनमें कई संशोधनों की सिफारिश की है । रिपोर्ट में आयोग ने दहेज निषेध अधिनियम, सती निवारण अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम, अवयस्क बच्चों के क्रय एवं विक्रय संबंधी प्रावधानों, महिलाओं पर अत्याचार की रोकथाम हेतु उपयुक्त निकायों के सृजन तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एंव शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए उन्हें रोजगार उपलब्ध करने के विशेष प्रयास करने हेतु कई संशोधनों की सिफारिश की है ।

Institutions for Foreign Students

4966. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have set up a committee to study the feasibility of throwing open select institutions of higher learning to foreign students;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) the effect of the scheme on the availability of seats to Indians?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION & DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) to (c) According to the information furnished by UGC the Commission has set up a Committee, comprising eminent academicians and educational administrators, to work, out modalities for providing educational opportunities to foreign students as also to generate resources for higher education. The Committee has not yet finalised its recommendations.

स्कूलों को दी गई सुविधायें

4967. श्री अन्नतराम जायसवाल
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में 5 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के कितने बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों में कितने प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में पेयजल और मूत्रालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनकी न तो अपनी इमारत है और न ही खेल का मैदान है ;

(घ) दोनों आयु वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के कुल कितने-कितने बच्चों को पिछले वर्ष प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में दाखिल किया गया है तथा उनमें से कितने बच्चों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 50 प्रतिशत छात्र प्राथमिक और मिडिल स्तर के शिक्षा सत्र के बीच में या उसके समाप्त होने पर पढ़ना छोड़ देते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?